

रीख हुकम

20<sup>08</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वजुलाम उप.  
अन्यकारि/ पीठासीन अधिकारी  
को/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 23/08/19 को पेश हो।

23<sup>08</sup>/<sub>19</sub>

दिनांक 23/08/19 को पेश हो।  
पत्रावली पेश हुई। वजुलाम उप.  
अन्यकारि/ पीठासीन अधिकारी  
को/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 12/09/19 को पेश हो।

10<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

दिनांक 12/09/19 को पेश हो।  
पत्रावली पेश हुई। वजुलाम उप.  
अन्यकारि/ पीठासीन अधिकारी  
को/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 06/11/19 को पेश हो।

10<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

दिनांक 06/11/19 को पेश हो।  
पत्रावली पेश हुई। वजुलाम उप.  
अन्यकारि/ पीठासीन अधिकारी  
को/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 06/11/19 को पेश हो।  
पत्रावली पेश हुई। वजुलाम फरीकन उप.  
प्रतिवादी सं. 8 व 9 की तामील पूर्व में  
सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद  
सम्यक तामील उक्त प्रतिवादीगण सं. 8 व 9  
की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया  
है। अतः प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 के विरुद्ध  
एक पक्षीय कार्यवाही समल में लई जाती  
है। उक्त से संबंधित अन्य ज. पत्रावली  
आदि. अलसिंह बनाम राजवीर सिंह को. मु.  
सं. 34/2017 तथा हस्तगत उक्तण में  
वजुलाम उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वस्तु  
आदेशार्थ मिसल दिनांक 05/11/19 को पेश

तारीख हुकम

नया अलफ

ही।  
for

04/19

मिसल वास्तै औरा आज पैश हुई। वज्जुलाय  
 करीकत उप। पूर्व में वकील जयगिण द्वारा  
 पैश अ. पत्र एवं दस्तावेज सूची संलग्न  
 दस्तावेज 1 ता 7 को अभिलेख पर लिया  
 जाता है। उल्लेख में वज्जुलाय उमयपदा की  
 बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान  
 बहस वकील जयगिण ने अ. पत्र टी. अहि.  
 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए T.I. Confircom  
 को निर्बंदन किया तथा वकील जयगिण  
 की बहस के जवाब में वकील अजयगिण ने  
 अ. पत्र जवाब अ. पत्र टी. अहि. में अंकित  
 तथ्यों को दोहराते हुए T.I. खारीज को  
 निर्बंदन किया।

हस्तगत उल्लेख तथा हस्तगत प्रमाण  
 से संबंधित उक्त अ. पत्र टी. अहि. अमेर सिंह  
 बनाम राजवीर सिंह वगैरे अ. सं. 34/2017 का  
 अवलोकन किया गया। एवं बहस वज्जुलाय  
 उमयपदा पर लगे मनन किया गया। चूंकि  
 जयगिण विवादित प्रमाण के रिकॉर्ड्स खारिज हैं  
 तथा अजयगिण सं. 3, 4, 6 व 7 भी विवादित प्रमाण  
 के रिकॉर्ड्स खारिज हैं। जयगिण ने एक फ़ोटो  
 खगन औरा प्राप्त कर रखा है। पक्षकारों के  
 हल अधिकारों का निर्धारण सूत्र वादपत्र में वाद  
 सुनवाई गुणानुगुण पर होता है। अतः अ. पत्र  
 टी. अहि. खारीज की जाती है। फ़तावली



अहकाम  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हुक्म

फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा काय  
तकमील दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले  
न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला